

पत्रिका-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-पत्र-डी/१६-२-१९६० (पत्र-डी)-५६-उत्तर प्रदेश राज्य (भाग १), विभाग १, लखनऊ-१५१०, दिनांक ११ फरवरी, १९६० ई० के अधीन, प्रकाशित विभागीय पत्रिका संख्या ५७१० (पत्र-पत्र)/१६-२-१९६० (पत्र-पत्र)-५६, विभाग १, लखनऊ, १९६० ई० में प्रकाशित "सुपरिटेन्डेंट इन्स्पेक्शन" के अन्तर्गत प्रकाशित "सुपरिटेन्डेंट इन्स्पेक्शन" विधि।

भारत में
हरीश चन्द्र चक्रवर्ती,
सचिव।

वन विभाग

विधि

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-१९६०-५०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह हुकि संशोधनकारीय पत्र, १९६० (पत्र सं० १६, १९६०) की धारा २६ की उपधारा (१) के अधीन अधिसूचित कार्य तथा नविकल्प धारा में इतना अधिक समय देना कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारी को पता हो सके।

अतएव उपरोक्त अध्याय के अधीनस्थ इलाके और उपरोक्त पत्र की धारा ८०-ग के अन्तर्गत उक्त कार्य की उपधारा (२) द्वारा अधिसूचित कार्य का प्रयोग करते-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को सूचित करते हैं कि इस प्रकार कार्य तथा नविकल्प धारा में उक्त पत्र के अन्तर्गत व के अन्तर्गत प्रत्येक अनुसूची में प्रतिक्रिया सूचित कर लाना होगी।

अनुसूची

| क्रमांक | नाम वस्तु | दूरी मीटर, सतह/घन और चौड़ी में | विवरण |
|------------|-------------------|--------------------------------|---|
| १-बैरठ रोड | १-बैरठ-दामपुर रोड | ३ मीटर से ३१ मीटर तक | पत्र की धारा २५५ की धारा में उक्त कार्य |
| | २-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३२ मीटर तक | " |
| | ३-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ५-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ६-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ७-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ८-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ९-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १०-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ११-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १२-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १३-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १४-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १५-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १६-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १७-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १८-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | १९-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २०-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २१-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २२-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २३-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २४-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २५-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २६-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २७-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २८-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | २९-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३०-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३१-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३२-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३३-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३४-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३५-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३६-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३७-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३८-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ३९-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४०-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४१-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४२-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४३-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४४-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४५-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४६-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४७-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४८-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ४९-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |
| | ५०-बैरठ-दामपुर | १ मीटर से ३० मीटर तक | " |

[Handwritten Signature]

**Manager (Tech.)
PIU, Varanasi**

प्राथमिक शिक्षा विभाग

अनुभाग-1

सेवा नियुक्ति

10 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 3572-83-335-83-810 बमल कुमार लोहाने, प्रधानाचार्य, राजकंठ केंद्रीय बाल संस्था, कामपुर विनांक 8 सितम्बर, 1983 को 58 वर्ष की अतिरिक्ता आयु प्राप्त करने के बाद दिनांक 30 सितम्बर, 1983 को अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

बडाा से,
रमल चन्द बिपाठी,
सचिव।

उद्योग विभाग

अनुभाग-1

संशोधन

22 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 4384-आर/18-1-193-आर-83-कतिपय संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों/सहायक प्रबन्धकों को स्वयंसेवक नियुक्तियों में विनियम संशोधन किया जाता है—

(1) विज्ञापित संख्या 3351-आर/18-1-315-आर-81, दिनांक 28 जून, 1983 के क्रम संख्या 1 एवं 3 के अन्तर्गत: स्तम्भ 3 एवं 4 में "स्टोर पर्सन" शब्द निकाल दिया जाय।

(2) विज्ञापित संख्या 3352-आर/18-1-193-आर-83, दिनांक 28 जून, 1983 के क्रम संख्या 4 के स्तम्भ 3 में "उप उद्योग निदेशक (स्टोर पर्सन)" के स्थान पर "केंद्रीय निबंधक (गृह विस्तार योजना)" एवं क्रम सं० 9 के स्तम्भ 4 एवं 10 के स्तम्भ 3 में "उप उद्योग निदेशक (जि० डी० 0)" के स्थान पर "उप उद्योग निदेशक (सा० डी०)" पढ़ा जाय।

(3) विज्ञापित संख्या 3815-आर/18-1-193-आर-83, दिनांक 13 जुलाई, 1983 के क्रम संख्या 3 के स्तम्भ 3 में "उप उद्योग निदेशक (जि० डी० 0)" के स्थान पर "उप उद्योग निदेशक (सा० डी०)" तथा क्रम संख्या 6 के स्तम्भ 4 में "(किला उद्योग क्षेत्र) सहायक बान्सुर" के स्थान पर "उप उद्योग निदेशक (सा० डी०)" पढ़ा जाय। उक्त विज्ञापितियों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

बडाा से,
सुभाषकुमार साहू,
सचिव।

श्रम विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

27 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 8328 (एस० डी०)/38-1-492 (एस० डी०)-80-सूचिक राज्यपाल संतुष्ट हैं कि सांघजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है—

अनुपम, संयुक्त प्रगतीय औद्योगिक शर्कों का ऐक्ट, 1947 (1947 ई० का ऐक्ट संख्या 28) को धारा 3 के खंड (ख) के उप खंड (4) के अन्तर्गत शर्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त ऐक्ट के अन्तर्गत हेतु सेक्टर इंडियन टेलीफोन के इंडस्ट्रियल सेक्टर, इलाहाबाद को इस अधिसूचना के निर्गत होने के तंत्र से अगामी 6 मास के लिए "सांघजनिक उपधीमिता का सेवा" घोषित करते हैं और अनुपम ऐक्ट की धारा 19 के अन्तर्गत हेतु यह भी निर्देश देते हैं कि इस आदेश की प्रवृत्ता सरकार के कक्ष में प्रकाशित कर दी जाय।

28 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 8328 (एस० डी०)/38-1-1853 (एस० डी०)-

82-संयुक्त प्रगतीय औद्योगिक शर्कों का ऐक्ट, 1947 (सं० 28 का ऐक्ट सं० 28, 1947) की धारा 9-ग के प्रथम उपसंख्य द्वारा प्रदत्त अधिसूचियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल सेक्टर इंडियन क्रोसापरेटिव सेक्टर लि०, लखनऊ तथा इनके शाखों के अन्तर्गत औद्योगिक विभाग से सी० ग्राव (1), लखनऊ द्वारा लिखे गये दिनांक 3 जुलाई, 1982 के पं० नं० 105 (अभि-वेन/आप संख्या 7/82), को दिनांक 8 जुलाई, 1982 को राज्यपाल के नोटिस बोर्ड पर सरकारी आदेश संख्या 3020 (एस० डी०)/38-1-82, दिनांक 5 जुलाई, 1982 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया के लागू रहने की अवधि को उसके समाप्त होने की तिथि से एक वर्ष के लिए विस्तारित करते हैं।

बडाा से,
डी० डी० धनुषा,
उप सचिव।

वन विभाग

अनुभाग-2

अधिसूचना

20 सितम्बर, 1983 ई०

सं० 1578/14-2-20(12)-83-अधिसूचना संख्या 23(2)-80-14-अ-67, दिनांक 18 मई, 1968 द्वारा जारी लिखित अनुसूची में निम्नलिखित सूचि को: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिसूचना संख्या 16, 1927) के अन्तर्गत प्रकाशित वन समानों का प्रस्ताव किया गया था।

और उक्त सूचि में अधिसूचियों के बाकी की प्रवृत्त करने के लिए उक्त अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित सूचि समाप्त हो गयी है और ऐसे कोई कार्य स्वीकार नहीं किये गये हैं।


Manager (Tech.)
P. U., Varanasi

असह्य, अन्न, उन्नत अभिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत अधिदायी का प्रयोग करने राज्यपाल दिनांक 15 अक्टूबर, 1983 से उक्त भूमि को धारणित बन घोषित करते हैं :


अनुसूची "क"

| जिला | तहसील | परतन्ना | ग्राम प्लॉ मान | पट्टा संख्या | दिनांक | विशेष विवरण |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|------------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मीरजापुर | मीरजापुर | कंसित | कापुरनसरावा | 524 भाग 525 526 527 | नो० दि० दि० 90 1 0 1 8 8 73 8 0 1 0 0 | |
| | | | | | योग .. | 174 11 0 |
| या | | | | | | |
| 108.22 एकड़ या 45.00 हेक्टेयर | | | | | | |

बन क्षेत्राधिकार साक्षिकता पत्र/पत्रांक—उत्तर प्रदेशी बन क़ानून

| संख्या | संख्या की विधि | अगले स्तम्भ की अनुमानित मित्ता | अगले स्तम्भ की अनुमानित कुलकोण कोण | अगले स्तम्भ की अनुमानित | अगले स्तम्भ की अनुमानित | अगले स्तम्भ की अनुमानित | विशेष विवरण | |
|--------|--|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ग्राम कापुर नसरावा एवं पतुलकी की सीमा पर | 303030 | 36.30 | 216.30 | 7.80 | सीसी काइल | | |
| 2 | पट्टा संख्या 524 तथा 521 के सड़ पर | 303030 | 73.00 | 253.00 | 10.00 | " | | |
| 3 | पट्टा संख्या 524 तथा 522 के सड़ पर | " | 70.00 | 250.00 | 5.00 | " | | |
| 4 | पट्टा संख्या 524 के सड़ पर | " | 70.00 | 250.00 | 5.00 | " | | |
| 5 | पट्टा संख्या 524 तथा 523 के सड़ पर | 303030 | 128.00 | 308.00 | 6.60 | " | | |
| 6 | पट्टा संख्या 524 तथा 527 के सड़ पर | ग्राम मीरजापुर का अन्तर्गत है । | | | | | | |

34.40


 Manager (Tech.)
 P I U, Varanasi

घन विभाग

अनुसूचा-2

अधिसूचना

24 सितम्बर, 1933 ई०

नं० 897/18-2-30-23-32—अधिसूचना संख्या 22(1)-38/16-अ-67 दिनांक 18 मार्च, 1933 ई० के अन्तर्गत अधिसूचा "क" में विरचित नूनि की प्राप्ति के घन अधिसूचना, 1937 (अधिसूचना संख्या 16, 1927) के अन्तर्गत अन्तर्गत का प्रस्ताव किया गया था ;


और उक्त नूनि में अधिकांश के नूनि को प्रस्तुत करने के दिवस उक्त अधिसूचना द्वारा विहित नूनि समाप्त हो गईं हैं और उक्त नूनि को प्रस्तुत करने के दिवस, किन्तु अधिसूचा "क" में उक्त नूनि समाप्त तक विद्यमान हैं ;

अतएव, उक्त अधिसूचना की धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचा का प्रयोग करने के अन्तर्गत, दिनांक 14 जनवरी, 1934 ई० अन्तर्गत "क" में अधिसूचा उक्त नूनि की प्राप्ति के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं —

अनुसूची "क"

| जिला—मिर्जापुर | | सहस्रांश—दिवापुर | | परमका—कोला | | घन का रजम—सूचीय तुलसी | |
|----------------|----------|------------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|------|
| वर्ग सं० | जमाव सं० | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | बी० मि० मि० | | बी० मि० मि० | | बी० मि० मि० | |
| | | 45 | 3 4 0 80 | | 9 2 0 482 | | 0 14 |
| | | 36 | 2 18 0 81 | | 2 15 0 473 | | 0 3 |
| | | 31 | 3 0 0 83 | | 0 13 0 474 | | 0 2 |
| 1 भाग | 4 0 0 | 32 | 3 4 0 89 भाग | | 0 1 0 487 भाग | | 0 15 |
| 2 | 13 11 0 | 33 | 1 19 0 90 | | 1 18 0 488 | | 0 14 |
| 3 | 8 11 0 | 34 | 2 11 0 91 | | 1 1 0 489 भाग | | 0 1 |
| 4 | 0 5 0 | 35 | 1 3 0 92 | | 1 2 0 490 भाग | | 0 13 |
| 5 | 9 16 0 | 36 | 8 14 0 93 भाग | | 1 15 0 491 भाग | | 0 18 |
| 6 | 0 15 0 | 37 | 2 7 0 94 भाग | | 1 3 0 492 | | 0 3 |
| 7 | 15 6 0 | 38 | 4 9 0 95 | | 1 8 0 493 भाग | | 0 2 |
| 8 | 4 4 0 | 39 | 11 5 0 96 | | 0 0 0 494 | | 3 0 |
| 9 | 0 0 0 | 40 | 0 10 0 97 | | 1 8 0 495 | | 2 10 |
| 10 | 3 14 0 | 41 | 0 10 0 98 | | 1 8 0 496 | | 0 3 |
| 11 | 4 12 0 | 42 | 3 0 0 99 | | 0 5 0 497 | | 0 4 |
| 12 | 0 19 0 | 43 | 0 14 0 100 | | 0 12 0 498 | | 2 0 |
| 13 | 2 18 0 | 44 | 3 12 0 101 | | 0 13 0 499 | | 2 18 |
| 14 | 0 17 0 | 45 | 2 0 0 102 | | 1 3 0 500 | | 0 12 |
| 15 | 0 2 0 | 46 | 0 8 0 103 | | 0 14 0 501 | | 1 3 |
| 16 | 0 16 0 | 47 | 0 12 0 104 | | 1 0 0 502 | | 1 13 |
| 17 | 1 2 0 | 48 | 0 8 0 105 | | 0 15 0 503 | | 0 1 |
| 18 | 2 3 0 | 49 | 2 5 0 106 भाग | | 0 1 0 504 | | 0 1 |
| 19 | 0 15 0 | 50 भाग | 2 8 0 107 भाग | | 0 0 0 505 | | 1 11 |
| 20 | 0 8 0 | 51 | 0 14 0 108 भाग | | 0 6 0 506 | | 3 13 |
| 21 | 0 7 0 | 52 | 0 18 0 109 भाग | | 3 13 0 507 | | 0 1 |
| 22 | 2 16 0 | 53 भाग | 2 1 0 110 भाग | | 0 8 0 508 | | 0 4 |
| 23 | 0 4 0 | 54 भाग | 2 11 0 111 भाग | | 0 14 0 509 | | 1 13 |
| 24 | 2 3 0 | 55 | 0 5 0 112 | | 32 3 0 510 | | 0 2 |
| 25 | 1 10 0 | 56 | 0 5 0 113 | | 0 3 0 511 | | 1 2 |
| 26 | 2 7 0 | 57 | 1 6 0 114 | | 0 3 0 512 | | 0 14 |
| 27 | 3 12 0 | 58 | 0 5 0 115 | | 3 13 0 513 | | 0 14 |
| 28 | 2 1 0 | 59 | 1 0 0 116 | | 0 0 0 514 | | 0 17 |
| 29 | 2 1 0 | 60 | 1 0 0 117 | | 0 17 0 515 | | |
| 30 | 3 17 0 | 61 | 1 0 0 118 | | | | |
| 31 | 1 11 0 | 62 | | | | | |

(Signature)
 Manager (Works)
 P. U., Varanasi



मार्च, 1964 ई० (मार्च 17, 1965 तक संवत्) - (115) 88

पृष्ठ 1
भाग 1]
उत्तर
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| प्राप्त-संख्या | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| प्राप्त-संख्या | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 517 | 1 15 0 | 430 प्राण | 79 14 10 | 821 | 0 11 0 | 833 | 1 18 0 |
| 518 | 1 9 0 | | | 829 | 4 3 0 | 840 | 3 23 0 |
| 519 | 0 18 0 | 421 | 2 13 0 | 839 | 0 8 0 | 853 | 3 18 0 |
| 520 | 4 17 0 | 422 | 1 2 0 | 841 | 261 16 0 | 872 | 3 12 0 |
| 521 | 3 12 0 | 423 | 2 12 0 | 832 | 7 4 0 | 885 | 3 17 0 |
| 522 | 2 16 0 | 424 | 2 14 0 | 824 | 2 5 0 | 898 | 3 12 0 |
| 523 | 1 8 0 | 425 | 2 14 0 | 825 | 19 14 0 | 911 | 3 12 0 |
| योग | 449 11 0 | 428 | 2 4 0 | 836 | 3 8 0 | 924 | 3 12 0 |
| घा | | 826 | 4 9 0 | 837 | 2 6 0 | 937 | 3 12 0 |
| घा | 280 99 | | | 838 | 0 13 0 | 950 | 3 12 0 |
| घा | घा | 827 | 7 1 0 | 839 | 477 13 0 | 963 | 3 12 0 |

संशोधन गणना (संशोधन) - प्राप्त-दुलारी

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना |
| संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना | संशोधन गणना |
| 1 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 1 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 2 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 3 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 4 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 5 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 6 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 7 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 8 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 9 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 10 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 11 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 12 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 12-1 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |
| 12-2 | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी | प्राप्त-दुलारी |

Handwritten signature

(41)

पृष्ठ 1

उत्तर प्रदेश खाद, 27 बरगुदा, 1984 ई० (कालिका 5, 1986 तक खाद)

1989

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|---------|------|-------------------|-----|-------------|---|
| बीरगुदा | बारगुदा | अधिम | देवरा प्रताप सिंह | 471 | बी० वि० वि० | |
| | | | | 472 | 16 4 0 | |
| | | | | | 117 17 0 | |
| | | | | योग | 254 16 3 | |
| | | | | | या | |
| | | | | | 284.66 | |
| | | | | | एकक | |
| | | | | | या | |
| | | | | | 215.173 ई० | |
| | | | | | रु०/घ० | |

कम सीमांकक कालिका खाद—दोषर क्षेत्री—बाबा देवरा प्रताप सिंह

| खाद | खाद की स्थिति | अधिक लागत की अनुमानित चिन्ता | अधिक लागत अनुमानित कीमत | कार्यवाही लागत | अधिक लागत कि नुमांदा है | अधिक लागत कि नुमांदा है | विशेष विवरण |
|-----|---------------|------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

कारक खाद क्रम—1

| | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|------|------|--|---|
| 0-1 | बाबा देवरा, प्रताप सिंह, बिदा पुरा एवं रामोवादी के सिद्धे पर | | | | 0.50 | | बोझाई किने खाद कारकहा के पूर्ण सीमा के साथ। |
| 1 | बाबा देवरा संख्या 1 के 20 सेक्टर पर | 123.00 | 303.00 | 8.00 | | | सीमा काईन |
| 1 | बाबा देवरा सं० 11 के सी० के 20 सेक्टर पर | 124.00 | 304.00 | 8.00 | | | " |
| 4 | बाबा देवरा सं० 17 सी० के अन्तर | 32.00 | 213.00 | 8.01 | | | " |
| 5 | बाबा देवरा सं० 18 सी० के अन्तर | 48.00 | 229.00 | 8.90 | | | " |
| 6 | बाबा देवरा सं० 21 के पूर्ण क्षेत्र पर | 131.00 | 311.00 | 1.73 | | | " |
| 7 | बाबा देवरा सं० 24 के 20 सेक्टर पर | 40.00 | 320.00 | 2.40 | | | " |
| 8 | बाबा देवरा सं० 24 पूर्ण क्षेत्र पर | 131.30 | 301.30 | 1.47 | | | " |
| 8 | बाबा देवरा सं० 22 के 20 सेक्टर पर | 22.30 | 302.30 | 1.92 | | | " |
| 10 | बाबा देवरा सं० 25 सेक्टर पर | 304.00 | 124.00 | 1.90 | | | " |
| 11 | बाबा देवरा सं० 24 सी० के 20 सेक्टर पर | 33.00 | 213.00 | 2.80 | | | " |
| 12 | बाबा देवरा सं० 25 के 20 सेक्टर पर | 121.00 | 301.00 | 3.73 | | | " |
| 12 | बाबा देवरा सं० 25 के 20 सेक्टर पर | 36.30 | 306.30 | 2.05 | | | " |
| 24 | बाबा देवरा सं० 24 के 20 सेक्टर पर | 120.00 | 290.00 | 2.60 | | | " |
| 25 | बाबा देवरा सं० 26 के 20 सेक्टर पर | 209.00 | 29.00 | 3.35 | | | " |
| 16 | बाबा देवरा सं० 26 के 20 सेक्टर पर | 133.30 | 303.30 | 1.32 | | | " |
| 17 | बाबा देवरा सं० 28 के 20 सेक्टर पर | 49.00 | 229.00 | 6.35 | | | " |
| 18 | बाबा देवरा सं० 133 सी० के अन्तर | 139.45 | 319.45 | 6.20 | | | " |
| 19 | बाबा देवरा सं० 135 के सी० के अन्तर | 137.00 | 317.00 | 6.40 | | | " |
| 20 | बाबा देवरा सं० 137 के 20 सेक्टर पर | 40.00 | 220.00 | 4.25 | | | " |
| 21 | बाबा देवरा सं० 133 के अन्तर | 74.45 | 254.45 | 2.50 | | | " |
| 21 | बाबा देवरा सं० 137 के 20 सेक्टर पर | 124.30 | 304.30 | 1.25 | | | " |

(Signature)
Manager (Tech.)
P. I. U., Varanasi

खाद कारक खाद है कि खाद का को सिलिंडर में ही भरी जायगी।
 3-000 पुर्णपार्षद का सीमा है कि खाद कारक खाद को सिलिंडर में भरी जायगी।
 3-000 पुर्णपार्षद का सीमा है कि खाद कारक खाद को सिलिंडर में भरी जायगी।

17 मार्च, 1978 ई०

नं० 3391/14-2-20 (32)-79-सचिवालय संख्या 23 (3) 46/14-अ-68, दिनांक 20 मार्च, 1978 द्वारा प्रकाशित अनुसूची 'क' में विहित भूमि को आरक्षित एवं अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अर्थात् आरक्षित एवं अरक्षित का प्रत्येक विभाग बनाया।


वैशेष: इस भूमि में अधिनियम के प्रावधानों को प्रयुक्त करने के लिये इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट सर्वाधिक संख्या की लकीरें;

जहाँ लकीरें नहीं बने लकीरें लकीरें बनें, किन्तु अनुसूची 'क' में दी गयी सीमा तक विभाजित की लकीरें;

आरक्षण, अर्थात् अधिनियम की प्रावधानों के अर्थात् अधिनियमों का अर्थात् अर्थात्, राजधानी दिनांक 15 मार्च, 1979 के अनुसूची 'क' में अधिनियमित भूमि को आरक्षित एवं अधिनियमित करने हेतु।

अनुसूची 'क'
निर्दिष्ट एवं अधिनियमित

| विभाग - निर्माणाधीन, अधिनियमित - निर्माणाधीन, अधिनियमित - निर्माणाधीन | | 1 | | 2 | | 3 | |
|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--|
| सर्वाधिक संख्या तक | | सं०/सि०/सि० | | सं०/सि०/सि० | | सं०/सि०/सि० | |
| 481 | 0 17 0 | 1006-सि० | 13 16 0 | 1055-सि० | 10 12 0 | | |
| 482-सि० | 7 0 0 | 1007 | 14 3 0 | 1058 | 8 17 0 | | |
| 483-सि० | 0 14 0 | 1008-सि० | 7 12 0 | 1059-सि० | 4 0 0 | | |
| 484-सि० | 13 3 0 | 1009 | 1 3 0 | 1060 | 16 11 0 | | |
| 485-सि० | 3 21 0 | 1010 | 1 4 0 | 1061 | 11 12 0 | | |
| 486-सि० | 11 19 0 | 1011 | 3 11 0 | 1062 | 8 14 0 | | |
| 487-सि० | 1 3 0 | 1012-सि० | 5 18 0 | 1063 | 1 2 0 | | |
| 488 | 1 2 0 | 1013 | 2 2 0 | 1064 | 7 12 0 | | |
| 489-सि० | 1 15 0 | 1014-सि० | 2 3 0 | 1065 | 0 6 0 | | |
| 490-सि० | 1 4 0 | 1015 | 1 3 0 | 1066 | 2 8 0 | | |
| 491-सि० | 1 16 0 | 1016 | 2 1 0 | 1067 | 3 9 0 | | |
| 492-सि० | 3 13 0 | 1017 | 2 5 0 | 1068 | 13 12 0 | | |
| 493 | 8 8 0 | 1018 | 2 5 0 | 1069 | 12 12 0 | | |
| 494-सि० | 7 12 0 | 1019 | 7 16 0 | 1070 | 12 16 0 | | |
| 495-सि० | 3 3 0 | 1020 | 2 7 0 | 1071 | 1 17 0 | | |
| 496-सि० | 14 2 0 | 1021-सि० | 2 14 0 | 1072 | 3 5 0 | | |
| 497 | 2 0 0 | 1022 | 0 2 0 | 1073 | 3 16 0 | | |
| 498 | 2 0 0 | 1023 | 1 11 0 | 1074 | 1 17 0 | | |
| 499-सि० | 4 16 0 | 1024 | 0 5 0 | 1075 | 2 12 0 | | |
| 500 | 6 13 0 | 1025 | 0 10 0 | 1076 | 8 7 0 | | |
| 501 | 1 5 0 | 1026 | 8 12 0 | 1077 | 5 15 0 | | |
| 502-सि० | 2 10 0 | 1027 | 3 2 0 | 1078-सि० | 2 1 0 | | |
| 503 | 0 0 0 | 1028 | 0 12 0 | 1079 | 3 12 0 | | |
| 504 | 3 0 0 | 1029 | 12 10 0 | 1080 | 0 9 0 | | |
| 505 | 1 5 0 | 1030 | 8 5 0 | 1081-सि० | 8 12 0 | | |
| 506-सि० | 26 13 0 | 1031 | 7 11 0 | 1082-सि० | 3 17 0 | | |
| 507 | 2 18 0 | 1032 | 3 8 0 | 1083-सि० | 5 2 0 | | |
| 508-सि० | 3 5 0 | 1033 | 0 13 0 | 1084-सि० | 16 12 0 | | |
| 509-सि० | 1 3 0 | 1034 | 1 14 0 | 1085-सि० | 0 5 0 | | |
| 510 | 1 8 0 | 1035 | 8 15 0 | 1086 | 0 2 0 | | |
| 511 | 15 0 0 | 1036-सि० | 5 13 0 | 1087-सि० | 23 13 0 | | |
| 512-सि० | 0 14 0 | 1037-सि० | 8 15 0 | 1088-सि० | 2 14 0 | | |
| 513 | 15 0 0 | 1038-सि० | 1 0 0 | 1089-सि० | 4 0 0 | | |
| 514-सि० | 15 16 0 | 1039-सि० | 3 2 0 | 1090 | 3 14 0 | | |
| 515-सि० | 3 19 0 | 1040 | 2 17 0 | 1091 | 1 12 0 | | |
| 516-सि० | 3 19 0 | 1041 | 0 6 0 | 1092-सि० | 1 0 0 | | |
| 517-सि० | 10 4 0 | 1042 | 1 0 0 | 1093 | 5 14 0 | | |
| 518-सि० | 2 11 0 | 1043 | 3 3 0 | 1094 | 6 0 0 | | |
| 519-सि० | 0 12 0 | 1044-सि० | 4 19 0 | 1095-सि० | 3 0 0 | | |
| 520 | 1 2 0 | 1045 | 1 15 0 | 1096 | 2 0 0 | | |
| 521-सि० | 0 12 0 | 1046 | 0 9 0 | 1097-सि० | 2 10 0 | | |


Manager (Tech.)
P I U, Varanasi

4 नवम्बर, 1977 ई०

सं० 2078/13-2-50 (40)-97-अभियुक्त संख्या 23 (3)/0-48-14-न-59, दिनांक 20 फरवरी, 1968 द्वारा अधिनियमित अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अभिनियम संख्या 15, 1927) के अधीन, भारतीय वन कानून का प्रयोग किया गया था;

" जोर वन भूमि में अधिनियमों के शर्तों को अनुसूची 'क' के तहत वन अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अधिभूत भूमि को नहीं है;

जोड़ ऐसे शर्तों को स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु अनुसूची 'क' में दी गयी सीमा तक विद्यमान हो गयी है;

अतः, अब वन अधिनियम की धारा 26 के अधीन शर्तों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 से अनुसूची 'क' में प्रस्तावित वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम के अधीन लाया गया है।

अनुसूची "क"
 वन भूमि
 स्थिति एवं संख्या

| क्र.सं. | जिल्ला | खण्ड | विकास क्षेत्र | विकास योजना संख्या | क्षेत्रफल | विशेष विवरण | |
|---------|-----------|-----------|---------------|--------------------|-----------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | मिर्जापुर | मिर्जापुर | कीर्ति | डी० | ख० | मि० | केला कि बिस्तृत सीमा विवरण में अंकित है। |
| | | | डी० | 63-भाग | 69 | 19 0 | |
| | | | | 168-भाग | 10 | 19 15 | |
| | | | | 170-भाग | 1 | 11 0 | |
| | | | | 267-भाग | 35 | 8 0 | |
| | | | | 268-भाग | 18 | 8 0 | |
| | | | | 269 | 5 | 3 0 | |
| | | | | 270-भाग | 15 | 17 0 | |
| | | | | 278 | 1 | 1 0 | |
| | | | | 683-भाग | 8 | 13 0 | |
| | | | | 683-भाग | 25 | 4 0 | |
| | | | | 697-भाग | 3 | 9 0 | |
| | | | | 700 | 0 | 19 0 | |
| | | | | 707 | 0 | 14 2 | |
| | | | | 708-भाग | 1 | 16 0 | |
| | | | | 709 | 1 | 11 0 | |
| | | | | 710-भाग | 1 | 9 0 | |
| | | | | 711 | 20 | 3 0 | |
| | | | | 712-भाग | 3 | 18 0 | |
| | | | | 731-भाग | 1 | 11 0 | |
| | | | | 734 | 0 | 13 8 | |
| | | | | 735 | 1 | 9 0 | |
| | | | | 736-भाग | 0 | 14 0 | |
| | | | | 729 | 5 | 19 0 | |
| | | | | 733 | 0 | 9 0 | |
| | | | | 734 | 0 | 4 0 | |
| | | | | 735 | 0 | 2 0 | |
| | | | | 736 | 0 | 3 0 | |
| | | | | 737 | 0 | 3 0 | |
| | | | | 738-भाग | 10 | 13 0 | |
| | | | | 739 | 0 | 2 0 | |
| | | | | 740 | 0 | 1 0 | |
| | | | | 741 | 0 | 17 0 | |
| | | | | 743 | 0 | 6 0 | |
| | | | | 747-भाग | 0 | 3 0 | |
| | | | | 748 | 0 | 7 0 | |
| | | | | 749-भाग | 3 | 1 8 | |
| | | | | 750 | 0 | 17 0 | |

(Signature)
 Manager (Tech.)
 P. U., Varanasi

4 दिसम्बर, 1977 ई०

सं० 7052/12-3-20 (88)-77-अनुसूची संख्या 23 (3)-48/14-अ-88, दिनांक 30 जुलाई, 1988 द्वारा अधोनिर्दिष्ट अनुसूची 'अ' में निम्नलिखित क्षेत्रों, आरक्षित एवं अधिचिपपन, 1977 (अधिचिपपन संख्या 16, 1977) के अंतर्गत, आरक्षित एवं अर्थात् का प्रस्ताव किया गया था:

और, उक्त भूमि में अधिचिपपन के अंतर्गत का प्रस्ताव करने के लिए उक्त अधिचिपपन द्वारा निर्दिष्ट अंतर्गत प्रस्ताव भी नहीं है;

और, यदि कोई अन्य स्थिति/वर्ग हो कि प्रस्ताव है, किन्तु अनुसूची 'अ' में भी नहीं सीमा तक विस्तार हो नहीं है;

* अर्थात्, उक्त उक्त अधिचिपपन की धारा 20 के अंतर्गत अधिचिपपन का प्रस्ताव करने, राजस्वपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 में अनुसूची 'अ' में अधिचिपपन प्रस्ताव भूमि को आरक्षित एवं अधिचिपपन करने है:

अनुसूची "अ"

ग्राम—सहगढ़ी

स्थिति एवं क्षेत्रफल

जिला—मिर्जापुर, तहसील—मिर्जापुर, परचण—कृषि

| खण्ड संख्या | क्षेत्रफल | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | बी० बि० बि० | | बी० बि० बि० | | बी० बि० बि० | |
| ग्राम—सहगढ़ी | | 914 | 17 12 0 | 940 | 16 12 0 | 966 | 15 16 0 |
| | बी० बि० बि० | 914 | 11 14 0 | 941 | 4 3 0 | 967 | 10 16 0 |
| 888 | 1 1 0 | 916 | 9 11 0 | 943 | 10 6 0 | 968 | 8 14 0 |
| 889 | 7 0 0 | 917 | 17 0 0 | 949 | 19 0 0 | 969 | 7 4 0 |
| 890 | 6 19 0 | 918 | 10 12 0 | 944 | 12 8 0 | 970 | 13 1 0 |
| 891 | 0 11 0 | 919 | 5 16 0 | 945 | 12 0 0 | 973 | 9 13 0 |
| 892 | 7 4 0 | 920 | 13 12 0 | 946 | 21 16 0 | 1116 | 99 0 0 |
| 893 | 2 7 0 | 921/1 | 8 12 0 | 947 | 26 16 0 | 1125-बि० | 13 10 0 |
| 894 | 0 6 0 | 922/1 | 3 12 0 | 948 | 10 0 0 | 1126 | 3 0 0 |
| 897 | 0 8 0 | 923 | 8 5 0 | 949 | 15 17 0 | 1129-बि० | 29 7 0 |
| 898 | 12 0 0 | 924 | 8 10 0 | 950 | 12 19 0 | 1131 | 609 6 8 |
| 899 | 1 0 0 | 925 | 15 5 0 | 951 | 14 12 0 | 1136-बि० | 513 9 0 |
| 900 | 12 0 0 | 926 | 25 5 0 | 952 | 20 12 0 | 1151 | 15 19 0 |
| 901 | 12 8 0 | 927 | 20 3 0 | 953 | 18 9 0 | | |
| 902 | 9 12 0 | 928 | 16 2 0 | 954 | 12 10 0 | सम्पूर्ण योग | 2318 6 0 |
| 903 | 1 12 0 | 929 | 28 14 0 | 955 | 18 10 0 | या | |
| 904 | 8 2 0 | 930 | 18 4 0 | 956 | 15 1 0 | | 1448.94 |
| 905 | 12 8 2 | 931 | 20 19 0 | 957 | 10 2 0 | | एकड़ |
| 906 | 1 38 0 | 932 | 19 3 0 | 958 | 10 19 0 | | या |
| 907/1 | 7 16 0 | 933 | 21 0 0 | 959 | 10 16 0 | | 186.367 |
| 908 | 0 0 0 | 934 | 10 10 0 | 960 | 10 2 0 | | हैक्टैर |
| 909 | 32 4 8 | 935 | 12 10 0 | 961 | 9 3 0 | | |
| 910 | 21 5 0 | 936 | 12 7 0 | 962 | 18 0 0 | | |
| 911 | 28 5 0 | 937 | 9 9 0 | 963 | 16 3 0 | | |
| 912 | 12 12 0 | 938 | 12 1 0 | 964 | 12 14 0 | योग: कि विस्तृत सीमा बिना | |
| 913 | 15 18 0 | 939 | 8 2 0 | 965 | 9 9 0 | में अंकित है। | |

यह सीमा पट्टा-सहगढ़ी ग्राम अर्थात् सहगढ़ी, परचण कृषि, जिला व तहसील मिर्जापुर

| संख्या | संख्या की स्थिति | अर्थात् संख्या की अनुसूचित | अर्थात् संख्या का अनुसूचित नुम्बरकी/कोल | अर्थात् संख्या का संख्या की | अर्थात् संख्या का संख्या की | अर्थात् संख्या का संख्या की | अर्थात् संख्या का संख्या की |
|--------|------------------|----------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

अर्थात् संख्या की 1

ग्राम सहगढ़ी और सहगढ़ी के
संख्या की संख्या की
21. 00 संख्या की संख्या की
12. 00 संख्या की संख्या की 1 संख्या की
1) ग्राम सहगढ़ी के संख्या की संख्या की
संख्या की संख्या की

50. 20. 7. 0 223. 30 73. 10 2. 00 सीरी संख्या

[Signature]
Mansingh (Tech.)
P. U., Varanasi

17 दिसम्बर, 1981 ई०

सं० 3279, 14-3-20 (15)-60--भूमि अधिग्रहण संख्या 33 (2) 30-12-57, दिनांक 18 मार्च, 1968 द्वारा अधिग्रहित भूखण्ड "क" से निर्दिष्ट भूमि को पारसीय जन अधिग्रहण, 1927 (अधिग्रहण संख्या 16, 1927) के अर्धीन आरक्षित बनाने का प्रस्ताव किया गया था;

और 343 भूमि में अधिग्रहण के कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए उक्त अधिग्रहण द्वारा अधिग्रहित भूमि सफल हो गयी है।

और भूमि में कोई बाध-ब्योधा नहीं मिले गये हैं, किन्तु भूखण्ड "क" से दो गली चौक सह रिवायतें भी गयी हैं;

अतः उक्त उक्त अधिग्रहण का अर्थ 20 के अर्धीन अधिग्रहण का प्रस्ताव करने के द्वारा, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 के भूखण्ड "क" से अधिग्रहित उक्त भूमि को अधिग्रहण का घोषित करते हैं।

भूखण्ड "क" का भूखण्ड

विधित एवं क्षेत्रफल


| क्रमांक | तहसील | परगना | गांव का नाम | वाटिका संख्या | क्षेत्रफल | विधायक विवरण |
|---------|-----------|-------|-------------|---------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | बिर्सापुर | बोतल | पटुलकी | 426 | 0 16 | जैसा कि किल्ला सोम उत्तर में बंकात है |
| | | | | 427 | 1 0 | |
| | | | | 428-भाग | 3 5 0 | |
| | | | | 429 | 0 18 0 | |
| | | | | 430 | 0 10 0 | |
| | | | | 431 | 0 5 0 | |
| | | | | 432 | 3 5 0 | |
| | | | | 433-भाग | 3 2 0 | |
| | | | | 434 | 1 3 0 | |
| | | | | 435 | 4 15 0 | |
| | | | | 436 | 0 3 0 | |
| | | | | 437 | 1 2 0 | |
| | | | | 438 | 0 2 0 | |
| | | | | 439 | 0 2 0 | |
| | | | | 440 | 0 3 0 | |
| | | | | 441 | 0 18 0 | |
| | | | | 442 | 0 25 0 | |
| | | | | 443-भाग | 1 7 0 | |
| | | | | 444 | 12 13 0 | |
| | | | | 445 | 1 7 0 | |
| | | | | 446 | 0 16 0 | |
| | | | | 447 | 1 7 0 | |
| | | | | 448-भाग | 1 10 0 | |
| | | | | 449 | 4 0 0 | |
| | | | | 450 | 0 14 0 | |
| | | | | 451 | 0 3 0 | |
| | | | | 452-भाग | 187 0 0 | |
| | | | | 453 | 1 0 0 | |
| | | | | 454 | 20 14 0 | |
| | | | | 455 | 0 3 0 | |
| | | | | 456 | 4 13 0 | |
| | | | | 457 | 0 18 0 | |
| | | | | 458 | 2 0 0 | |
| | | | | 459 | 1 3 0 | |
| | | | | 460 | 0 15 0 | |
| | | | | 461 | 4 10 0 | |
| | | | | 462 | 1 13 0 | |

(Signature)
 Manager
 P. U. Varanasi


1. भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिग्रहण प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में स्थित भूमि के मालिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने अधिकारों का बचाव करने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं।
 2. यदि कोई मालिक इस प्रस्ताव से असहमत है तो वह अपने अधिकारों का बचाव करने के लिए उचित कदम उठा सकता है।
 3. अधिकारों का बचाव करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए उचित कदम उठा सकते हैं।

| क्र. | नाम | प्रीति | विद्य | विद्य |
|------|--------|--------|-------|-------|
| १ | कल्याण | १० | १० | ० |
| २ | ... | १ | ० | ० |
| ३ | ... | ० | ० | ० |
| ४ | ... | ४ | १० | ० |
| ५ | ... | ४ | ० | ० |
| ६ | ... | १० | ० | ० |
| ७ | ... | ० | ० | ० |
| ८ | ... | ० | ० | ० |
| ९ | ... | ० | ० | ० |
| १० | ... | ० | ० | ० |
| ११ | ... | ० | ० | ० |
| १२ | ... | ० | ० | ० |
| १३ | ... | ० | ० | ० |
| १४ | ... | ० | ० | ० |
| १५ | ... | ० | ० | ० |
| १६ | ... | ० | ० | ० |
| १७ | ... | ० | ० | ० |
| १८ | ... | ० | ० | ० |
| १९ | ... | ० | ० | ० |
| २० | ... | ० | ० | ० |
| २१ | ... | ० | ० | ० |
| २२ | ... | ० | ० | ० |
| २३ | ... | ० | ० | ० |
| २४ | ... | ० | ० | ० |
| २५ | ... | ० | ० | ० |
| २६ | ... | ० | ० | ० |
| २७ | ... | ० | ० | ० |
| २८ | ... | ० | ० | ० |
| २९ | ... | ० | ० | ० |
| ३० | ... | ० | ० | ० |
| ३१ | ... | ० | ० | ० |
| ३२ | ... | ० | ० | ० |
| ३३ | ... | ० | ० | ० |
| ३४ | ... | ० | ० | ० |
| ३५ | ... | ० | ० | ० |
| ३६ | ... | ० | ० | ० |
| ३७ | ... | ० | ० | ० |

आदेशानुसार


 Manager (Tech.)
 P. U. Varanasi

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------|-----|------|------|------|------|--------|
| क्र.सं. | नाम | वर्ग | विषय | अंक | अंक | अंक |
| 23 | | | | | 1 | 4 |
| 24 | | | | | 1 | 9 |
| 25 | | | | | 9 | 10 |
| 26-27 | | | | | 37 | 20 |
| 27 | | | | | 0 | 23 |
| 28-29 | | | | | 2 | 4 |
| 40-41 | | | | | 4 | 13 |
| 42 | | | | | 1 | 8 |
| 44 | | | | | 3 | 15 |
| 45 | | | | | 46 | 4 |
| 16-17 | | | | | 8 | 13 |
| 47 | | | | | 19 | 5 |
| 48 | | | | | 1 | 9 |
| 49 | | | | | 1 | 14 |
| 50 | | | | | 2 | 8 |
| 51 | | | | | 1 | 7 |
| 52 | | | | | 1 | 8 |
| 53 | | | | | 3 | 2 |
| 54 | | | | | 1 | 10 |
| 55 | | | | | 8 | 14 |
| 56 | | | | | 6 | 12 |
| 57 | | | | | 1 | 8 |
| 58 | | | | | 2 | 4 |
| 59 | | | | | 3 | 4 |
| 60 | | | | | 0 | 12 |
| 61-62 | | | | | 0 | 8 |
| 17,560 | | | | | 0 | 8 |
| 60,100 | | | | | 2 | 1 |
| | | | | 215 | 250 | 13 |
| | | | | | | 91 |
| | | | | | | 100.82 |
| | | | | | | 298 |
| | | | | 4394 | 4 | |
| | | | | | 91 | |
| | | | | | 273 | 40 |
| | | | | | 1152 | |


 Mr. [Name],
 P. I. U., Varanasi

(E)

1. The student has to submit a project report on the topic assigned to him/her. The report should be typed and double-spaced. The margins should be 25 mm on all sides. The cover page should be separate and should contain the title of the project, the name of the student, and the name of the institution. The report should be submitted in a neat and clean manner. The student should also submit a soft copy of the report on a CD-ROM. The report should be submitted by the due date. The student should also submit a certificate from the teacher in charge of the project. The certificate should contain the name of the student, the name of the institution, and the date of submission. The student should also submit a certificate from the parent/guardian. The certificate should contain the name of the student, the name of the institution, and the date of submission. The student should also submit a certificate from the school/college. The certificate should contain the name of the student, the name of the institution, and the date of submission.

2. The student has to submit a project report on the topic assigned to him/her. The report should be typed and double-spaced. The margins should be 25 mm on all sides. The cover page should be separate and should contain the title of the project, the name of the student, and the name of the institution. The report should be submitted in a neat and clean manner. The student should also submit a soft copy of the report on a CD-ROM. The report should be submitted by the due date. The student should also submit a certificate from the teacher in charge of the project. The certificate should contain the name of the student, the name of the institution, and the date of submission. The student should also submit a certificate from the parent/guardian. The certificate should contain the name of the student, the name of the institution, and the date of submission. The student should also submit a certificate from the school/college. The certificate should contain the name of the student, the name of the institution, and the date of submission.

21


 Manager (Tech.)
 P I U, Varanasi